"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 48 ] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 30 नवम्बर 2018—अग्रहायण 9, शक 1940

## भाग 3 ( 1 )

### विज्ञापन

### अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, गोविंदा यादव आत्मज श्री ओम प्रकाश यादव, उम्र 23 वर्ष, निवासी-मोहड़ वार्ड नं.-44, राजनांदगांव, तहसील व जिला राजनांदगांव (छ. ग.) का हूं. यह कि पूर्व में मेरा नाम गोपी यादव था, जो कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस, राशन कार्ड आदि में दर्ज है. मैं अपने पूर्व नाम को परिवर्तित कर नया नाम "गोविंदा यादव" रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे गोविंदा यादव आ. श्री ओम प्रकाश यादव के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

| पुराना नाम | नया नाम |
|---|---|
| गोपी यादव<br>पिता- श्री ओम प्रकाश यादव<br>निवासी-मोहड़ वार्ड नं.-44, राजनांदगांव,<br>तह. व जिला-राजनांदगांव (छ. ग.) | गोविंदा यादव<br>पिता- श्री ओम प्रकाश यादव<br>निवासी-मोहड़ वार्ड नं.-44, राजनांदगांव,<br>तह. व जिला-राजनांदगांव (छ. ग.) |

## नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, ओम कुमार वर्मा, आत्मज श्री बी. आर. वर्मा, उम्र 29 वर्ष, निवासी–एल. आई. जी. 50, सेक्टर–2 शंकर नगर, रायपुर, तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.) का हूं. यह कि पूर्व में मेरा नाम अरूण कुमार वर्मा था और मैं इसी नाम से जाना पहचाना जाता था, यही नाम मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व अन्य आवश्यक अभिलेखों/दस्तावेजों में दर्ज है. मैं अपने पूर्व नाम को परिवर्तित कर नया नाम "ओम कुमार वर्मा" रख लिया हूं मेरा यह नया नाम मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व अन्य आवश्यक अभिलेखों व दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे ओम कुमार वर्मा आ. श्री बी. आर. वर्मा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

| **पुराना नाम** | **नया नाम** |
|---|---|
| अरूण कुमार वर्मा<br>पिता–श्री बी. आर. वर्मा<br>निवासी–एल. आई. जी. 50,<br>सेक्टर–2 शंकर नगर, रायपुर,<br>तहसील व जिला–रायपुर (छ. ग.) | ओम कुमार वर्मा<br>पिता–श्री बी. आर. वर्मा<br>निवासी–एल. आई. जी. 50,<br>सेक्टर–2 शंकर नगर, रायपुर,<br>तहसील व जिला–रायपुर (छ. ग.) |

---

## उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, विरेन्द्र कुमार चन्द्राकर आत्मज श्री फूलसिंह चन्द्राकर, जाति–कुर्मी, निवासी, ग्राम पो.–कचान्दुर, तहसील गुण्डरदेही, जिला–बालोद (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, सेवा पुस्तिका, अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों व अभिलेखों में मेरा नाम विरेन्द्र आ. फूलसिंह दर्ज है जो कि अपूर्ण है, जबकि मेरे आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, पेन कार्ड में मेरा पूर्ण नाम "विरेन्द्र कुमार चन्द्राकर आ. फूलसिंह चन्द्राकर" दर्ज है. मैं अपने सही व पूर्ण नाम "विरेन्द्र कुमार चन्द्राकर आ. फूलसिंह चन्द्राकर" को मेरे समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय आवश्यक अभिलेखों व दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे विरेन्द्र कुमार चन्द्राकर आ. श्री फूलसिंह चन्द्राकर के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

| **पुराना नाम** | **नया नाम** |
|---|---|
| विरेन्द्र<br>पिता–श्री फूलसिंह<br>निवासी–ग्राम पो.– कचान्दुर,<br>तहसील–गुण्डरदेही,<br>जिला–बालोद (छ. ग.) | विरेन्द्र कुमार चन्द्राकर<br>पिता–श्री फूलसिंह चन्द्राकर<br>निवासी–ग्राम पो.– कचान्दुर,<br>तहसील–गुण्डरदेही,<br>जिला–बालोद (छ. ग.) |

## नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, एस. सूर्या नारायण आत्मज स्व. एस. गंगईया, उम्र 57 वर्ष, निवासी–क्वा. नं.–3/सी., सड़क नं.–4, जोन–3, सेक्टर–11, खुर्सीपार, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूं. मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम S. SURAYA NARAYANAN दर्ज है. जो त्रुटिपूर्ण है. जबकि मेरे आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस, पेनकार्ड में मेरा सही नाम S. SURYA NARAYAN दर्ज है. मैं अपने सही नाम "एस. सूर्या नारायण S. SURYANARAYAN" को मेरे सर्विस रिकार्ड व समस्त आवश्यक अभिलेखों व दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे एस. सूर्या नारायण S. Surya Narayan आ. स्व. एस. गंगईया के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

| **पुराना नाम** | **नया नाम** |
|---|---|
| एस. सूर्यनारायणन<br>(S. SURAYANARAYANAN)<br>पिता–एस. गंगईया<br>(S/O- S. GANGAYYA)<br>निवासी–क्वा. नं.–3/सी., सड़क नं.–4,<br>जोन–3, सेक्टर–11,<br>खुर्सीपार, भिलाई,<br>तह व जिला–दुर्ग (छ. ग.) | एस. सूर्या नारायण<br>(S. SURYA NARAYAN)<br>पिता–एस. गंगईया<br>(S/O- S. GANGAYYA)<br>निवासी–क्वा. नं.–3/सी., सड़क नं.–4,<br>जोन–3, सेक्टर–11,<br>खुर्सीपार, भिलाई,<br>तह व जिला–दुर्ग (छ. ग.) |

---

## उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, अभिषेक कुमार तम्बोली आत्मज श्री अनिल कुमार तम्बोली, उम्र 26 वर्ष, निवासी– एच. आई. जी.–10, हुडको, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे कुछ शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में, कक्षा दसवीं, बारहवीं तथा बी. ई. सिविल (अंतिम वर्ष) के प्रमाण पत्रों में मेरा नाम अभिषेक कुमार आ. अनिल कुमार दर्ज है जो कि अपूर्ण है, जबकि मेरे पेन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र में मेरा पूर्ण नाम अभिषेक कुमार तम्बोली आ. श्री अनिल कुमार तम्बोली दर्ज है. मैं अपने समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, शासकीय व अर्द्धशासकीय अभिलेखों/दस्तावेजों में मेरा पूर्ण नाम "अभिषेक कुमार तम्बोली आ. श्री अनिल कुमार तम्बोली" दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे अभिषेक कुमार तम्बोली आ. श्री अनिल कुमार तम्बोली के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

| **पुराना नाम** | **नया नाम** |
|---|---|
| अभिषेक कुमार<br>पिता–श्री अनिल कुमार<br>निवासी– एच. आई. जी.–10,<br>हुडको, भिलाई,<br>तह. व जिला–दुर्ग (छ. ग.) | अभिषेक कुमार तम्बोली<br>पिता–श्री अनिल कुमार तम्बोली<br>निवासी– एच. आई. जी.–10,<br>हुडको, भिलाई,<br>तह. व जिला–दुर्ग (छ. ग.) |

## उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, कुमारी ऋचा तम्बोली आत्मजा श्री अनिल कुमार तम्बोली, उम्र 23 वर्ष, निवासी- एच. आई. जी.-10, हुडको, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि मेरे कुछ शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में, कक्षा दसवीं, बारहवीं तथा बी. एस. सी. व एम. एस. सी. अंतिम वर्ष के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में मेरा नाम कुमारी ऋचा आ. अनिल कुमार दर्ज है जो कि अपूर्ण है, जबकि मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र में मेरा पूर्ण नाम कुमारी ऋचा तम्बोली आ. श्री अनिल कुमार तम्बोली दर्ज है. मैं अपने पूर्ण नाम कुमारी "ऋचा तम्बोली आ. श्री अनिल कुमार तम्बोली" को मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, शासकीय व अर्द्धशासकीय अभिलेखों व दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे कुमारी ऋचा तम्बोली आत्मजा श्री अनिल कुमार तम्बोली के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

| **पुराना नाम** | **नया नाम** |
|---|---|
| कुमारी ऋचा<br>पिता-श्री अनिल कुमार<br>निवासी- एच. आई. जी.-10,<br>हुडको, भिलाई,<br>तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) | कुमारी ऋचा तम्बोली<br>पिता-श्री अनिल कुमार तम्बोली<br>निवासी- एच. आई. जी.-10,<br>हुडको, भिलाई,<br>तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) |

---

## नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, लाला राम साहू आत्मज श्री इंदलराम साहू उम्र 53 वर्ष निवासी-प्लाट नं. 21, सड़क नं.-02, प्रदीप्ती नगर, बोरसी, दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मैं भारतीय थल सेना में कार्यरत था तथा सन् 2002 में सेवानिवृत्त हो चुका हूं. मेरे सर्विस रिकार्ड में व मेरी पुत्री के जन्म प्रमाण पत्र में मेरी पुत्री का नाम कुमारी भुल्सी दर्ज है. मैं अपनी पुत्री का नाम परिवर्तित कर नया नाम कुमारी गुंजन साहू रख लिया हूं. उसका यह नया नाम "कुमारी गुंजन साहू" उसके शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, आधार कार्ड आदि में दर्ज है. मैं उसके जन्म प्रमाण पत्र व मेरे सर्विस रिकार्ड में उसका नया नाम "कुमारी गुंजन साहू" को दर्ज करवाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मेरी पुत्री को कुमारी गुंजन साहू आत्मजा लाला राम साहू के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

| **पुराना नाम** | **नया नाम** |
|---|---|
| कुमारी भुल्सी<br>(Kumari Bhulsi)<br>पिता-श्री लाला राम साहू<br>निवासी-प्लाट नं. 21, सड़क नं.-02,<br>प्रदीप्ती नगर, बोरसी, दुर्ग<br>तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) | कुमारी गुंजन साहू<br>(Kumari Gunjan Sahu)<br>पिता-श्री लाला राम साहू<br>(D/o- Shri Lala Ram Sahu)<br>निवासी-प्लाट नं.-21, सड़क नं.-02,<br>प्रदीप्ती नगर, बोरसी, दुर्ग<br>तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) |

# विविध

## अन्य सूचनाएं

### कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं राजनांदगांव (छ. ग.)

राजनांदगांव, दिनांक 13 अगस्त 2018

क्रमांक/2231/उपंरा/परि./2018.—शिव शंकर बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या. बजरंगपुर, नवागांव प. क्र. 495 जिला राजनांदगांव के संचालक मंडल/प्राधिकृत अधिकारी को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के उपधारा (3) अंतर्गत कार्यालयीन सूचना पत्र क्रमांक/1650/उंपरा/परिसमापन/2018 राजनांदगांव दिनांक 20-06-2018 जारी किया गया कि, वास्तव में आपकी संस्था अकार्यशील एवं निर्वाचन कार्य कराने में कोई रूचि नहीं ले रही है, संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है, जिससे संस्था के अंशधारी सदस्यों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, इसलिए संस्था को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई वैधानिक औचित्य शेष नहीं रह गया है. उक्त प्रकरण में कारण बताओ सूचना पत्र की तामिली के कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब/स्पष्टीकारण नियत अवधि में प्रस्तुत किया है, जिसमें संस्था के अकार्यशील, व्यवसाय नहीं करने एवं संचालक मंडल के निर्वाचन कार्य में रूचि नहीं लेने के कारण संस्था के अस्तित्व को बनाये रखने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता पत्र प्रस्तुत किया गया है.

अस्तु उपरोक्त तथ्यों के परिणाम में उक्त सोसायटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक एवं वांछनीय हो गया है.

अत: मैं डी. आर. ठाकुर उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं राजनांदगांव छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्रमांक/एफ: 15-19/15-02/2012/03, रायपुर दिनांक 04-05-2012 द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ नया रायपुर के शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं शिव शंकर बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या. बजरंगपुर, नवागांव प. क्र. 495 जिला राजनांदगांव को छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 की उप धारा (2) के विहित प्रावधानों के अधीन परिसमापन में लाया जाकर छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 की उप धारा (1) के अधीन प्रावधानों के तहत सहकारिता विस्तार अधिकारी वि. ख. राजनांदगांव को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं. परिसमापक छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 71 की उप धारा (3) की अधीन कार्यवाही करते हुये अपना प्रतिवेदन समयावधि में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 13-08-2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

राजनांदगांव, दिनांक 13 अगस्त 2018

क्रमांक/2232/उपंरा/परि./2018.—बम्लेश्वरी ट्रेवल्स सहकारी समिति मर्या. राजनांदगांव प. क्र. 385 जिला राजनांदगांव के संचालक मंडल/प्राधिकृत अधिकारी को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के उपधारा (3) अंतर्गत कार्यालयीन सूचना पत्र क्रमांक/1650/उंपरा/परिसमापन/2018 राजनांदगांव दिनांक 20-06-2018 जारी किया गया कि, वास्तव में आपकी संस्था अकार्यशील एवं निर्वाचन कार्य कराने में कोई रूचि नहीं ले रही है, संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है, जिससे संस्था के अंशधारी सदस्यों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, इसलिए संस्था को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई वैधानिक औचित्य शेष नहीं रह गया है. उक्त प्रकरण में कारण बताओ सूचना पत्र की तामिली के कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब/स्पष्टीकरण नियत अवधि में प्रस्तुत किया है, जिसमें संस्था के अकार्यशील, व्यवसाय नहीं करने एवं संचालक मंडल के निर्वाचन कार्य में रूचि नहीं लेने के कारण संस्था के अस्तित्व को बनाये रखने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता पत्र प्रस्तुत किया गया है.

अस्तु उपरोक्त तथ्यों के परिणाम में उक्त सोसायटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक एवं वांछनीय हो गया है.

अत: मैं डी. आर. ठाकुर उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं राजनांदगांव छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्रमांक/एफ:15-19/15-02/2012/03, रायपुर दिनांक 04-05-2012 द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ नया रायपुर के शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं बम्लेश्वरी ट्रेवल्स सहकारी समिति मर्या. राजनांदगांव प. क्र. 385 जिला राजनांदगांव को छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 की उप धारा (2) के विहित प्रावधानों के अधीन परिसमापन में लाया जाकर छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70

की उप धारा (1) के अधीन प्रावधानों के तहत सहकारिता विस्तार अधिकारी वि. ख. राजनांदगांव को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं. परिसमापक छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 71 की उप धारा (3) की अधीन कार्यवाही करते हुये अपना प्रतिवेदन समयावधि में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 13-08-2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

राजनांदगांव, दिनांक 13 अगस्त 2018

क्रमांक/2233/उपंरा/परि./2018.—जय माँ बुनकर सहकारी समिति मर्या. भनसुला प. क्र. 497 वि. ख. अं. चौकी जिला राजनांदगांव के संचालक मंडल/प्राधिकृत अधिकारी को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के उपधारा (3) अंतर्गत कार्यालयीन सूचना पत्र क्रमांक/1650/उंपरा/परिसमापन/2018 राजनांदगांव दिनांक 20-06-2018 जारी किया गया कि, वास्तव में आपकी संस्था अकार्यशील एवं निर्वाचन कार्य कराने में कोई रूचि नहीं ले रही है, संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है, जिससे संस्था के अंशधारी सदस्यों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, इसलिए संस्था को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई वैधानिक औचित्य शेष नहीं रह गया है. उक्त प्रकरण में कारण बताओ सूचना पत्र की तामिली के कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब/स्पष्टीकरण नियत अवधि में प्रस्तुत किया है, जिसमें संस्था के अकार्यशील, व्यवसाय नहीं करने एवं संचालक मंडल के निर्वाचन कार्य में रूचि नहीं लेने के कारण संस्था के अस्तित्व को बनाये रखने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता पत्र प्रस्तुत किया गया है.

अस्तु उपरोक्त तथ्यों के परिणाम में उक्त सोसायटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक एवं वांछनीय हो गया है.

अत: मैं डी. आर. ठाकुर उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं राजनांदगांव छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्रमांक/एफ:15-19/15-02/2012/03, रायपुर दिनांक 04-05-2012 द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ नया रायपुर के शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं जय माँ बुनकर सहकारी समिति मर्या. भनसुला प. क्र. 497 जिला राजनांदगांव को छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 की उप धारा (2) के विहित प्रावधानों के अधीन परिसमापन में लाया जाकर छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 की उप धारा (1) के अधीन प्रावधानों के तहत सहकारिता विस्तार अधिकारी वि. ख. राजनांदगांव को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं. परिसमापक छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 71 की उप धारा (3) की अधीन कार्यवाही करते हुये अपना प्रतिवेदन समयावधि में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 13-08-2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

राजनांदगांव, दिनांक 13 अगस्त 2018

क्रमांक/2234/उपंरा/परि./2018.—कृषक बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या. केकतीटोला प. क्र. 557 वि. ख. अं. चौकी जिला राजनांदगांव के संचालक मंडल/प्राधिकृत अधिकारी को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के उपधारा (3) अंतर्गत कार्यालयीन सूचना पत्र क्रमांक/1650/उंपरा/परिसमापन/2018 राजनांदगांव दिनांक 20-06-2018 जारी किया गया कि, वास्तव में आपकी संस्था अकार्यशील एवं निर्वाचन कार्य कराने में कोई रूचि नहीं ले रही है, संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है, जिससे संस्था के अंशधारी सदस्यों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, इसलिए संस्था को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई वैधानिक औचित्य शेष नहीं रह गया है. उक्त प्रकरण में कारण बताओ सूचना पत्र की तामिली के कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब/स्पष्टीकरण नियत अवधि में प्रस्तुत किया है, जिसमें संस्था के अकार्यशील, व्यवसाय नहीं करने एवं संचालक मंडल के निर्वाचन कार्य में रूचि नहीं लेने के कारण संस्था के अस्तित्व को बनाये रखने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता पत्र प्रस्तुत किया गया है.

अस्तु उपरोक्त तथ्यों के परिणाम में उक्त सोसायटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक एवं वांछनीय हो गया है.

अत: मैं डी. आर. ठाकुर उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं राजनांदगांव छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्रमांक/एफ:15-19/15-02/2012/03, रायपुर दिनांक 04-05-2012 द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ नया रायपुर के शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं कृषक बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या. केकतीटोला प. क्र. 557 वि. ख. अं. चौकी जिला राजनांदगांव को छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 की उप धारा (2) के विहित प्रावधानों के अधीन परिसमापन में लाया जाकर छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी

अधिनियम 1960 की धारा 70 की उप धारा (1) के अधीन प्रावधानों के तहत सहकारिता विस्तार अधिकारी वि. ख. राजनांदगांव को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं. परिसमापक छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 71 की उप धारा (3) की अधीन कार्यवाही करते हुये अपना प्रतिवेदन समयावधि में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 13-08-2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

राजनांदगांव, दिनांक 13 अगस्त 2018

क्रमांक/2235/उपंरा/परि./2018.—महात्मा ज्योतिबा फुले फल फुल सब्जी औषधी उत्पादक सहकारी समिति मर्या. अं. चौकी प. क्र. 437 वि. ख. अं. चौकी जिला राजनांदगांव के संचालक मंडल/प्राधिकृत अधिकारी को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के उपधारा (3) अंतर्गत कार्यालयीन सूचना पत्र क्रमांक/1650/उंपरा/परिसमापन/2018 राजनांदगांव दिनांक 20-06-2018 जारी किया गया कि, वास्तव में आपकी संस्था अकार्यशील एवं निर्वाचन कार्य कराने में कोई रूचि नहीं ले रही है, संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है, जिससे संस्था के अंशधारी सदस्यों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, इसलिए संस्था को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई वैधानिक औचित्य शेष नहीं रह गया है. उक्त प्रकरण में कारण बताओ सूचना पत्र की तामिली के कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब/स्पष्टीकरण नियत अवधि में प्रस्तुत किया है, जिसमें संस्था के अकार्यशील, व्यवसाय नहीं करने एवं संचालक मंडल के निर्वाचन कार्य में रूचि नहीं लेने के कारण संस्था के अस्तित्व को बनाये रखने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता पत्र प्रस्तुत किया गया है.

अस्तु उपरोक्त तथ्यों के परिणाम में उक्त सोसायटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक एवं वांछनीय हो गया है.

अतः मैं डी. आर. ठाकुर उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं राजनांदगांव छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्रमांक/एफ:15-19/15-02/2012/03, रायपुर दिनांक 04-05-2012 द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ नया रायपुर के शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं महात्मा ज्योतिबा फुले फल फुल सब्जी औषधी उत्पादक सहकारी समिति मर्या. अं. चौकी प. क्र. 437 वि. ख. अं. चौकी जिला राजनांदगांव को छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 की उप धारा (2) के विहित प्रावधानों के अधीन परिसमापन में लाया जाकर छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 की उप धारा (1) के अधीन प्रावधानों के तहत सहकारिता विस्तार अधिकारी वि. ख. राजनांदगांव को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं. परिसमापक छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 71 की उप धारा (3) की अधीन कार्यवाही करते हुये अपना प्रतिवेदन समयावधि में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 13-08-2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

राजनांदगांव, दिनांक 13 अगस्त 2018

क्रमांक/2236/उपंरा/परि./2018.—शहीद वीर नारायण सिंह बुनकर सहकारी समिति मर्या. टेमरी प. क्र. 626 वि. ख. खैरागढ़ जिला राजनांदगांव के संचालक मंडल/प्राधिकृत अधिकारी को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के उपधारा (3) अंतर्गत कार्यालयीन सूचना पत्र क्रमांक/1650/उंपरा/परिसमापन/2018 राजनांदगांव दिनांक 20-06-2018 जारी किया गया कि, वास्तव में आपकी संस्था अकार्यशील एवं निर्वाचन कार्य कराने में कोई रूचि नहीं ले रही है, संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है, जिससे संस्था के अंशधारी सदस्यों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, इसलिए संस्था को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई वैधानिक औचित्य शेष नहीं रह गया है. उक्त प्रकरण में कारण बताओ सूचना पत्र की तामिली के कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब/स्पष्टीकरण नियत अवधि में प्रस्तुत किया है, जिसमें संस्था के अकार्यशील, व्यवसाय नहीं करने एवं संचालक मंडल के निर्वाचन कार्य में रूचि नहीं लेने के कारण संस्था के अस्तित्व को बनाये रखने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता पत्र प्रस्तुत किया गया है.

अस्तु उपरोक्त तथ्यों के परिणाम में उक्त सोसायटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक एवं वांछनीय हो गया है.

अतः मैं डी. आर. ठाकुर उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं राजनांदगांव छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्रमांक/एफ:15-19/15-02/2012/03, रायपुर दिनांक 04-05-2012 द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ नया रायपुर के शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं शहीद वीर नारायण सिंह बुनकर सहकारी समिति मर्या. टेमरी प. क्र. 626 वि. ख. खैरागढ़ जिला राजनांदगांव को छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 की उप धारा (2) के विहित प्रावधानों के अधीन परिसमापन में लाया जाकर छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी

अधिनियम 1960 की धारा 70 की उप धारा (1) के अधीन प्रावधानों के तहत सहकारिता विस्तार अधिकारी वि. ख. राजनांदगांव को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं. परिसमापक छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 71 की उप धारा (3) की अधीन कार्यवाही करते हुये अपना प्रतिवेदन समयावधि में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 13-08-2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

राजनांदगांव, दिनांक 13 अगस्त 2018

क्रमांक/2237/उपंरा/परि./2018.— गायत्री बुनकर सहकारी समिति मर्या. घुपसाल प. क्र. 500 वि. ख. छुरिया जिला राजनांदगांव के संचालक मंडल/प्राधिकृत अधिकारी को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के उपधारा (3) अंतर्गत कार्यालयीन सूचना पत्र क्रमांक/1650/उंपरा/परिसमापन/2018 राजनांदगांव दिनांक 20-06-2018 जारी किया गया कि, वास्तव में आपकी संस्था अकार्यशील एवं निर्वाचन कार्य कराने में कोई रूचि नहीं ले रही है, संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है, जिससे संस्था के अंशधारी सदस्यों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, इसलिए संस्था को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई वैधानिक औचित्य शेष नहीं रह गया है. उक्त प्रकरण में कारण बताओ सूचना पत्र की तामिली के कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब/स्पष्टीकरण नियत अवधि में प्रस्तुत किया है, जिसमें संस्था के अकार्यशील, व्यवसाय नहीं करने एवं संचालक मंडल के निर्वाचन कार्य में रूचि नहीं लेने के कारण संस्था के अस्तित्व को बनाये रखने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता पत्र प्रस्तुत किया गया है.

अस्तु उपरोक्त तथ्यों के परिणाम में उक्त सोसायटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक एवं वांछनीय हो गया है.

अतः मैं डी. आर. ठाकुर उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं राजनांदगांव छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्रमांक/एफ:15-19/15-02/2012/03, रायपुर दिनांक 04-05-2012 द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ नया रायपुर के शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं गायत्री बुनकर सहकारी समिति मर्या. घुपसाल प. क्र. 500 वि. ख. छुरिया जिला राजनांदगांव को छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 की उप धारा (1) के अधीन प्रावधानों के तहत सहकारिता विस्तार अधिकारी वि. ख. राजनांदगांव को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं. परिसमापक छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 71 की उप धारा (3) की अधीन कार्यवाही करते हुये अपना प्रतिवेदन समयावधि में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 13-08-2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

राजनांदगांव, दिनांक 13 अगस्त 2018

क्रमांक/2238/उपंरा/परि./2018.—प्रगतिशील बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या. मोतीपुर राजनांदगांव प. क्र. 625 जिला राजनांदगांव के संचालक मंडल/प्राधिकृत अधिकारी को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के उपधारा (3) अंतर्गत कार्यालयीन सूचना पत्र क्रमांक/1650/उंपरा/परिसमापन/2018 राजनांदगांव दिनांक 20-06-2018 जारी किया गया कि, वास्तव में आपकी संस्था अकार्यशील एवं निर्वाचन कार्य कराने में कोई रूचि नहीं ले रही है, संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है, जिससे संस्था के अंशधारी सदस्यों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, इसलिए संस्था को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई वैधानिक औचित्य शेष नहीं रह गया है. उक्त प्रकरण में कारण बताओ सूचना पत्र की तामिली के कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब/स्पष्टीकरण नियत अवधि में प्रस्तुत किया है, जिसमें संस्था के अकार्यशील, व्यवसाय नहीं करने एवं संचालक मंडल के निर्वाचन कार्य में रूचि नहीं लेने के कारण संस्था के अस्तित्व को बनाये रखने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता पत्र प्रस्तुत किया गया है.

अस्तु उपरोक्त तथ्यों के परिणाम में उक्त सोसायटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक एवं वांछनीय हो गया है.

अतः मैं डी. आर. ठाकुर उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं राजनांदगांव छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्रमांक/एफ:15-19/15-02/2012/03, रायपुर दिनांक 04-05-2012 द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ नया रायपुर के शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं प्रगतिशील बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या. मोतीपुर राजनांदगांव प. क्र. 625 जिला राजनांदगांव को छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 की उप धारा (2) के विहित प्रावधानों के अधीन परिसमापन में लाया जाकर छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी

अधिनियम 1960 की धारा 70 की की धारा 70 की उप धारा (1) के अधीन प्रावधानों के तहत सहकारिता विस्तार अधिकारी वि. ख. राजनांदगांव को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं. परिसमापक छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 71 की उप धारा (3) की अधीन कार्यवाही करते हुये अपना प्रतिवेदन समयावधि में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 13-08-2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

राजनांदगांव, दिनांक 13 अगस्त 2018

क्रमांक/2239/उपंरा/परि./2018.— क्षेत्रीय मछुवा सहकारी समिति मर्या. सुरगी प. क्र. 613 वि. ख. राजनांदगांव जिला राजनांदगांव के संचालक मंडल/प्राधिकृत अधिकारी को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के उपधारा (3) अंतर्गत कार्यालयीन सूचना पत्र क्रमांक/1650/उंपरा/परिसमापन/2018 राजनांदगांव दिनांक 20-06-2018 जारी किया गया कि, वास्तव में आपकी संस्था अकार्यशील एवं निर्वाचन कार्य कराने में कोई रूचि नहीं ले रही है, संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है, जिससे संस्था के अंशधारी सदस्यों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, इसलिए संस्था को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई वैधानिक औचित्य शेष नहीं रह गया है. उक्त प्रकरण में कारण बताओ सूचना पत्र की तामिली के कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब/स्पष्टीकरण नियत अवधि में प्रस्तुत किया है, जिसमें संस्था के अकार्यशील, व्यवसाय नहीं करने एवं संचालक मंडल के निर्वाचन कार्य में रूचि नहीं लेने के कारण संस्था के अस्तित्व को बनाये रखने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता पत्र प्रस्तुत किया गया है.

अस्तु उपरोक्त तथ्यों के परिणाम में उक्त सोसायटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक एवं वांछनीय हो गया है.

अत: मैं डी. आर. ठाकुर उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं राजनांदगांव छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्रमांक/एफ:15-19/15-02/2012/03, रायपुर दिनांक 04-05-2012 द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ नया रायपुर के शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं क्षेत्रीय मछुवा सहकारी समिति मर्या. सुरगी प. क्र. 613 वि. ख. राजनांदगांव जिला राजनांदगांव को छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 की की धारा 70 की उप धारा (1) के अधीन प्रावधानों के तहत सहकारिता विस्तार अधिकारी वि. ख. राजनांदगांव को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं. परिसमापक छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 71 की उप धारा (3) की अधीन कार्यवाही करते हुये अपना प्रतिवेदन समयावधि में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 13-08-2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

राजनांदगांव, दिनांक 13 अगस्त 2018

क्रमांक/2240/उपंरा/परि./2018.—जय माँ जगदंबे बुनकर सहकारी समिति मर्या. रेंगाकठेरा प. क्र. 511 वि. ख. डोंगरगांव जिला राजनांदगांव के संचालक मंडल/प्राधिकृत अधिकारी को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के उपधारा (3) अंतर्गत कार्यालयीन सूचना पत्र क्रमांक/1650/उंपरा/परिसमापन/2018 राजनांदगांव दिनांक 20-06-2018 जारी किया गया कि, वास्तव में आपकी संस्था अकार्यशील एवं निर्वाचन कार्य कराने में कोई रूचि नहीं ले रही है, संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है, जिससे संस्था के अंशधारी सदस्यों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, इसलिए संस्था को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई वैधानिक औचित्य शेष नहीं रह गया है. उक्त प्रकरण में कारण बताओ सूचना पत्र की तामिली के कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब/स्पष्टीकरण नियत अवधि में प्रस्तुत किया है, जिसमें संस्था के अकार्यशील, व्यवसाय नहीं करने एवं संचालक मंडल के निर्वाचन कार्य में रूचि नहीं लेने के कारण संस्था के अस्तित्व को बनाये रखने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता पत्र प्रस्तुत किया गया है.

अस्तु उपरोक्त तथ्यों के परिणाम में उक्त सोसायटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक एवं वांछनीय हो गया है.

अत: मैं डी. आर. ठाकुर उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं राजनांदगांव छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्रमांक/एफ:15-19/15-02/2012/03, रायपुर दिनांक 04-05-2012 द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ नया रायपुर के शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं जय माँ जगदंबे बुनकर सहकारी समिति मर्या. रेंगाकठेरा वि. ख. डोंगरगांव प. क्र. 511 जिला राजनांदगांव को छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 की उप धारा (2) के विहित प्रावधानों के अधीन परिसमापन में लाया जाकर छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी

अधिनियम 1960 की धारा 71 की उप धारा (3) की अधीन कार्यवाही करते हुये अपना प्रतिवेदन समयावधि में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 13-08-2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

राजनांदगांव, दिनांक 13 अगस्त 2018

क्रमांक/2241/उपंरा/परि./2018.—इंडियन मछुवा सहकारी समिति मर्या. चिद्दो प. क्र. 514 वि. ख. डोंगरगांव जिला राजनांदगांव के संचालक मंडल/प्राधिकृत अधिकारी को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के उपधारा (3) अंतर्गत कार्यालयीन सूचना पत्र क्रमांक/1650/उंपरा/परिसमापन/2018 राजनांदगांव दिनांक 20-06-2018 जारी किया गया कि, वास्तव में आपकी संस्था अकार्यशील एवं निर्वाचन कार्य कराने में कोई रूचि नहीं ले रही है, संस्था अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करना बंद कर दिया है, जिससे संस्था के अंशधारी सदस्यों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, इसलिए संस्था को अस्तित्व में बनाये रखने का कोई वैधानिक औचित्य शेष नहीं रह गया है. उक्त प्रकरण में कारण बताओ सूचना पत्र की तामिली के कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब/स्पष्टीकरण नियत अवधि में प्रस्तुत किया है, जिसमें संस्था के अकार्यशील, व्यवसाय नहीं करने एवं संचालक मंडल के निर्वाचन कार्य में रूचि नहीं लेने के कारण संस्था के अस्तित्व को बनाये रखने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता पत्र प्रस्तुत किया गया है.

अस्तु उपरोक्त तथ्यों के परिणाम में उक्त सोसायटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक एवं वांछनीय हो गया है.

अत: मैं डी. आर. ठाकुर उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं राजनांदगांव छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्रमांक/एफ:15-19/15-02/2012/03, रायपुर दिनांक 04-05-2012 द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ नया रायपुर के शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं इंडियन मछुवा सहकारी समिति मर्या. चिद्दो प. क्र. 514 वि. ख. डोंगरगांव जिला राजनांदगांव को छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 की उप धारा (2) के विहित प्रावधानों के अधीन परिसमापन में लाया जाकर छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 70 की की धारा 70 की उप धारा (1) के अधीन प्रावधानों के तहत सहकारिता विस्तार अधिकारी वि. ख. राजनांदगांव को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं. परिसमापक छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 71 की उप धारा (3) की अधीन कार्यवाही करते हुये अपना प्रतिवेदन समयावधि में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 13-08-2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

**डी. आर. ठाकुर,**
उप पंजीयक .

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2018.